वसूली के गैरपरंपरागत तरीके अपना रही छोटी होम लोन फाइनेंस कंपनियां

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। जब बड़ी संख्या में देनदारों ने उधार चुकाना बंद करना शुरू किया तो उदयपुर के एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस ने कलेक्शन का नया तरीका अपनाया। एसआरजी साउथ राजस्थान और गुजरात के दूरदराज के इलाकों में लोन बांटती है। कंपनियों ने बकाया वसूली के लिए ग्राम सभा में डिफॉल्टर्स के नामों का ऐलान करने के अलावासरपंच की मदद मांगह उनसे अनुरोध किया कि वह उधारी चुकाना बंद करने वालों को कम से कम कुछ रकम चुकाने के लिए कहें।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की यह ट्रिक काम कर गई और वह बकायेदारों से मोटी रकम वसूल करने में कामयाब रही। एसआरजी की जनरल मैनेजर, फाइनेंस सुनैना नागर कहती हैं, हम जिस एरिया में कारोबार करते हैं, वहां पास-पड़ोस के लोगों का दबाव काम कर जाता है। कंपनी की 125 करोड़ रुपये की आउटस्टैंडिंग लोन बुक है और इसका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगभग 1.2प्रतिशत है। उन्होंने कहा, हम इन दिनों बहुत सावधानी बरत रहे हैं। हम लोन देने से पहले बॉरोअर के बारे में यादा से यादा सूचना जुटाने की कोशिश करते हैं।

इंडिया में लोन कभी देना कभी समस्या नहीं रही है। दिक्कत तो पैसे वसूल करने में आती रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का एवरेज जीएनपीए 1.2प्रतिशत है जिनको वे पिछले साल तक 0.5-0.65प्रतिशत पर बनाए हुए थे। क्रिसिल रेटिंग्स के डेटा के मुताबिक, सितंबर क्वॉर्टर के अंत तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लगभग 10500 करोड़ रुपये का लोन एनपीए हो गया था। तो क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बारूद के ढेर पर बैठी हैं फिलहाल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है लेकिन हालात अछे नहीं दिख रहे। बड़े प्लेयर्स तो अपनी ताकत और उधारी लागत कम रखने की क्षमता के चलते कुछ हद तक बचे हुए हैं। बहुत सी कंपनियों के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत स्पॉन्सर (बैंक या कॉरपोरेट हाउस) हैं।

छोटी कंपनियों को नुकसान होने का रिस्क है। अगर उनका एनपीए क्रेडिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो उनकी हालात बहुत खराब हो जाएगी। उनके पास बहुत कम कैपिटल बेस और फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। ऐसे उनका वसूली के लिए सरपंच से बात करना या खुली ग्रामसभा में डिफॉल्टर्स के नाम का ऐलान करना जैसे गैरपरंपरागत तरीके अपनाना लाजिमी हो गया है। फिर भी उनके बही खातों की सफाई जरूरी हो गई है। मिड 2016 तक लगभग 70 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 82 हो गई हैं। इस समय देश में 92 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कारोबार कर रही हैं और 14 अन्य को रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक की मंजूरी का इंतजार है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वाइस चेयरमैन गगन बंगा कहते हैं, मार्केट में 10 से 12 करोड़ की औसत पूंजी वाली 40 छोटी कंपनियां हैं। बैंक से लोन लेने के चलते उनकी कॉस्ट ऑफ फंड यादा होती है इसलिए उनको कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले बॉरोअर्स के पीछे भागना पड़ जाता है। वे आमतौर पर 12 से 12.5प्रतिशत के रेट से लोन बांटते हैं। अंधाधुंध लोन बांटने के चलते कुछ कंपनियों की बुरी गत हो गई है। एक लाख करोड़ रुपये से यादा लोन एसेट वाली इंडियाबुल्स देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में खासतौर पर कम रकम के लोन की उधारी पर यादा दबाव दिख रहा है। केयर रेटिंग्स के एजीएम रामदासु बंडारू कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बॉरोअर्स की कैश फ्लो का सही सही अंदाजा लगाने में नाकामयाब रहे हैं। उनके सहयोगी एसोसिएट डायरेक्टर मितुल बुधभाती बताते हैं, बहुत सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने प्रॉपर्टी का सही वैल्यू कराए बिना नए क्षेत्रों ने कदम रखा है। कुछ कंपनियों ने हाई लोन टु वैल्यू लोन बांटे हैं जिसमें लेंडर्स के पास बहुत कम कोलैटरल कवर रह जाता है। देश का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो 30 सितंबर तक 15.1 लाख करोड़ रुपये का था।

मांग, वित्त पोषण को बढ़ाने की जरूरत : रियल्टी कंपनियां

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों तथा परामर्शदाताओं ने कहा कि रिजर्व बैंक का प्रमुख नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय आशा के अनुरूप है लेकिन क्षेत्र वित्त पोषण और मांग के मामले में कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा था। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त सव- नियमन निकाय के रूप में गठित नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि रिजर्व बैंक की नीति आशा के अनुरूप है। रियल्टी कंपनियों का शीर्ष संगठन क्रेडाई के अध्यक्ष जे शाह ने कहा, रिजर्व बैंक को सस्ते मकान को बुनियादी ढांचा का दर्जा का मतलब बताने की जरूरत है। मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रख गया है क्षेत्र सभी के लिए आवास के वित्त पोषण को लेकर संघर्ष कर रहा है। जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रमुख रमेश नायर ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा था जिससे वृद्धि को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, शीर्ष बैंक बैंकों को कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) को 10 प्रतिशत से नीचे रखने या आवास ऋण के लिए एक सीमा लगा लगाने को लेकर निर्देश दे सकता है।

वीजा, मास्टरकार्ड को भारत में रखना होगा यहां का डेटा

मुंबई 6 अप्रैल (ए)। फाइनेंशियल पेमेंट्स की सुविधा देने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में डेटा रखना अनिवार्य हो गया है। इन कंपनियों में वीजा से लेकर मास्टरकार्ड और गूगल से लेकर वॉट्सऐप तक शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों के लिए छह महीने की समयसीमा के अंदर देश में अपना सभी डेटा रखना जरूरी कर दिया है। ने एक रिपोर्ट में कहा, यह देखा गया है कि अभी केवल कुछ विशेष पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और उनके आउटसोर्सिंग पार्टनर ही पेमेंट सिस्टम से जुड़ा कुछ या पूरा डेटा देश में रखते हैं। निगरानी के उद्देश्यों के लिए पेमेंट का सभी डेटा उपलब्ध कराने के मकसद से यह फैसला किया गया है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को अपने सभी डेटा सिर्फ भारत में रखने होंगे। यह काम 6 महीने में करना होगा। हाल में भारत में पेमेंट इकोसिस्टम का काफी विस्तार हुआ है। इसमें नए पेमेंट सिस्टम्स, कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है। के डेटा के अनुसार, क्रेडिट और डेबिट सहित कार्ड ट्रांजैक्शंस की वैल्यू नोटबंदी से पहले 2.5 लाख करोड़ रुपये प्रतिमाह थी, जो अब बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, लोनी एंटनी ने बताया, चीन ने डेटा को लेकर यह कदम पहले ही उठा लिया था और जापान, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। भारत में ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम को देखते हुए देश में ही डेटा रखना समझदारी है। नवंबर, 2016 में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगने के बाद पेमेंट बिजनेस में टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप्स जैसी कई नई कंपनियों ने प्रवेश किया था। नोटबंदी के बाद क्रेडिट, डेबिट कार्ड से पेमेंट सहित डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हुई है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व ष्टश्वह्व, ए पी होता ने कहा, इस फैसले का वीजा और मास्टरकार्ड पर बड़ा असर होगा क्योंकि उन्हें भारत में अपना डेटा स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। दुनिया भर में कंपनियों को देश के अंदर ही डेटा रखने की जरूरत होती है। ऋह्वह्व का कहना है कि बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लागू करने के जरिए पेमेंट सिस्टम डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से डेटा से जुड़ी गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी और डिजिटल पेमेंट्स की तेज ग्रोथ को भी बरकरार रखा जा सकेगा।

वडोदरा की डीपीआईएल ने बैंकों को लगाया 2654 करोड़ रुपये का चूना!

नई दिल्ली/अहमदाबाद 6 अप्रैल (ए)। इलेक्ट्रिक केबल और इक्विपमेंट के कारोबार से जुड़ी वडोदरा की एक कंपनी पर बैंकों को 2,654 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगा है। सीबीआई ने इस कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जांच एजेंसी ने डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीपीआईएल) और इसके डायरेक्टरों के गुजरात के वडोदरा में कार्यालयों और घरों पर तलाशी ली है। सीबीआई के मुताबिक, डीपीअईएल के प्रमोटर एस एन भटनागर हैं। भटनागर के बेटे अमित और सुमित इस कंपनी में एग्जिक्युटिव्स हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया, डीपीआईएल ने अपने मैनेजमेंट के जरिए 11 सरकारी और प्राइवेट बैंकों के समूह से फर्जी तरीके से क्रेडिट फसिलिटीहासिल की। कंपनी 2008 से ऐसा करती आ रही थी। 29 जून 2016 तक उस पर 2654.40 करोड़ रुपये का बकाया था। सीबीआई ने बताया कि इस बकाया लोन को 2016-17 में नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट करार दिया गया था। लोन देनेवाले बैंकों का समूह जब बनाया गया था तो ऐक्सिस बैंक टर्म लोन के लिए लीड बैंक था और बैंक ऑफ इंडिया कैश क्रेडिट लिमिट्स के लिए लीड बैंक था। आरोप लगाया गया है कि इस फर्म ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से सांठगांठ कर क्रेडिट फसिलिटी बढ़वा ली थी। सीबीआई के अनुसार, कंपनी लीड बैंक को गलत स्टॉक स्टेटमेंट्स दिया करती थी, जिसमें वह 180 दिनों से ज्यादा के रिसीवेबल्स (नॉन-करेंट एसेट) को 180 दिनों से कम के रिसीवेबल्स (करेंट ऐसेट) के रूप में दिखाया करती थी और इस तरह अपने कैश क्रेडिट अकाउंट में ज्यादा पैसा निकालने का अधिकार हासिल करती थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीपीआईएल ने बड़ी संख्या में लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल करने के लिए कैश क्रेडिट लिमिट्स का जमकर इस्तेमाल किया था।

अमीर क्यों छोड़ रहे हैं देश, पता लगाने के लिए सीबीडीटी ने बनाई समिति

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक समिति बनाई है, जो यह पता लगाएगी कि टैक्स संबंधी किन मसलों की वजह से अमीर लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। वह इस तरह के माइग्रेशन पर देश का रुख भी तय करेगी। सीबीडीटी द्वारा बनाई गई पांच सदस्यीय समिति को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हेड करेंगे। इस समिति में उनके अलावा चार रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे। सूत्रों ने बताया कि समिति हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) संबंधी टैक्स मसलों पर विचार करेगी। सीबीडीटी ने समिति बनाते हुए कहा कि हाल में ऐसा देखा गया है कि अमीर लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। उसने माना कि इस तरह के माइग्रेशन से बड़ा टैक्स संबंधी रिस्क पैदा हो सकता है। अमीर लोगों के भारत छोड़कर जाने के मामले में समिति टैक्स संबंधी कई पहलुओं पर ध्यान देगी और वह इस

तरह के माइग्रेशन को देखते हुए पॉलिसी बनाने की खातिर सुझाव भी दे सकती है। समिति इस पर काम करते वक्त डायमंड ट्रेड से जुड़े नीरव मोदी, उनके मामा और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के देश से भागने संबंधी बातों का भी ध्यान रखेगी। इससे पहले किंगफिशर एयरलाइन के दिवालिया होने के बाद बैंकों का पैसा लौटाने से बचने के लिए शराब कारोबारी विजय माल्या देश से भाग गए थे। हाल के वर्षों में देश छोड़कर जाने वाले करोड़पति लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2017 में ही करीब 7,000 ऐसे लोगों ने देश छोड़ा।

ई-कॉमर्स कंपनियां बढ़ते बिजनेस के चलते डिलिवरी बॉयज की संख्या की डबल

मुंबई 6 अप्रैल (ए)। ई-कॉमर्स कंपनियां बढ़ते बिजनस को देखते हुए अब अपने प्रॉडक्ट्स की सप्लाइ में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी डिलिवरी बॉयज के बेड़े को मजबूत करने मे जुट गई हैं। कई कंपनियां डिलिवरी बॉय की संख्या को दो से तीन गुना बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। कंपनीज ऐंड स्टाफिंग फर्म ने बताया कि फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, 1एमजी, पेपरफ्राई, अर्बन लैडर और अन्य कई कंपनियां डिलिवरी ऐजेंट्स की संख्या बढ़ा रही हैं। स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज के आकलन के मुताबिक, ई-कॉमर्स सेक्टर में इस वक्त डिलिवरी बॉयज की 35,000 नौकरियां आई हुई हैं। भारत में अभी कुल 1,85,000 डिलिवरी बॉयज हैं। भारत डिजिटल ई-कॉमर्स के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।

ऑनलाइन रिटेलर बिगबास्केट के पास वित्त वर्ष 2017-18 में 1,300 डिलिवरी बॉयज थे और वह इस वित्त वर्ष में 4,500 और डिलिवरी बॉयज हायर करने की तैयारी कर रही है। यह पिछले साल की हायरिंग की तुलना में तीन गुने से भी यादा है। बिगबास्केट के एचआर हेड टी एन हरि ने बताया, इस वित्त वर्ष हमें अलीबाबा जैसा पार्टनर मिला है, जिसके जरिए हमें काफी फंडिंग मिली है। इसलिए हम 2019 में बिजनस को और बढ़ाने पर सोच रहे हैं। अलीबाबा ने हाल ही में बिग बास्केट में 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। चूंकि ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़े निवेशक मिल रहे हैं, इसलिए वे कस्टमर को बेहतर सर्विस देने पर ध्यान दे रही हैं। हालांकि, डिलिवरी बॉयज को लेकर पूछे गए सवालों का फ्लिपकार्ट ने जवाब नहीं दिया। लास्ट माइल डिलिवरी स्टॉर्टअप डिपेंडो लॉजिस्टिक सलूशन भी इस वित्त वर्ष में 1,200 और डिलिवरी बॉयज को हायर करने पर विचार कर रहा है। डिपेंडो लॉजिस्टिक सॉलूशन ई-कॉमर्स सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे- फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन, मिंट्रा, मोबिक्विक का सर्विस पार्टनर है। डिपेंडो की होल्डिंग कंपनी क्रेस कॉर्प के प्रेजिडेंट गुरुप्रसाद श्रीनिवासन ने बताया, ई-कॉमर्स कंपनियों की प्रमोशनल गतिविधियों में पूरे साल इजाफा देखने को मिला है। अब लोगों में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन उत्पाद खरीदने का चलन भी काफी बढ़ा है जिसकी वजह से डिलिवरी है।

आरकाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, संपत्ति बेचने से रोक हटाई

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली टेलीकाम फर्म रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्तियों की बिक्री पर बंबई हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा ली। कोर्ट ने इस फर्म की संपत्तियों को बेचने से रोकने संबंधी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पांच मार्च के आदेश के खिलाफ आरकॉम की अपील आठ मार्च को खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ आरकॉम की सहायक कंपनी रिलायंस इंफ्राटेक लि और भारतीय स्टेट बैंक की अलग अलग दायर अपीलों पर भी विचार किया था। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने संबंधित पक्षों को इस मामले में कानून के अनुरूप ट्रिब्यूनल के पास ही जाने के लिए कहा। आरकॉम ने पूर्व अनुमति के बगैर अपनी संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध लगाने के उच कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने

भी ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने आरकॉम की समेकित संपत्तियों पर स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को अपना दावा करने की अनुमति दे दी थी।

शीर्ष अदालत ने 22 मार्च को आरकॉम की संपत्तियां रिलायंस जियो को बेचने के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संयुक्त फोरम की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता है क्योंकि संपत्तियों की कीमत में गिरावट हो रही है। हालांकि, पीठ ने मेहता से जानना चाहा कि उच कोर्ट की कार्यवाही में वह शामिल क्यों नहीं हुए थे। आरकॉम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि एरिक्सन असुरक्षित ऋणदाता है। आरकॉम पर बैंकों का 42,000 करोड़ रुपए का बकाया है। आरकॉम ने अपने स्पेक्ट्रम, दूरसंचार टावर और अन्य बनियादी ढांच को बेचने के लिए रिलायंस जियो के साथ 17,300 करोड़ रुपए का करार कर रखा है जिसमें 1.78 लाख किलो मीटर फाइबर आप्टिक्स लाइनें भी शामिल हैं।

वेतन बढ़ाने से कोल इंडिया पर पड़ेगा 1 हजार करोड़ का बोझ, स्टॉक 1% तक टूटा

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। पब्लिक सेक्टर की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अगले दो महीने में अपने अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगा। इस कदम से कंपनी के 23,000 अधिकारियों को फायदा होगा। इससे कंपनी पर सालाना 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। शुक्रवार के कारोबार में कोल इंडिया के स्टॉक में 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

23 हजार अधिकारियों को होगा फायदा : कंपनी के चेयरमैन एमडी गोपाल सिं के मुताबिक, अधिकारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। यह लगभग अंतिम चरण में है। मेरा मानना है कि इस पर फैसला अगले दो माह में होगा।'' कंपनी के अधिकारियों का वेतन संशोधन एक जनवरी, 2017 से लंबित है। इस कदम से कंपनी के 23,000 अधिकारियों को फायदा होगा। इससे कंपनी पर सालाना 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

ऐसे होगी भरपाई : 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ की भरपाई के लिए कंपनी उत्पादकता, दक्षता बढ़ाकर और लागत घटाकर करेगी। कोल इंडिया ने पिछले साल अक्तूबर में कर्मचारी यूनियनों के साथ पांच साल का वेतन समझौता किया था। इससे कंपनी पर सालाना 5,667 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। कोल इंडिया के कर्मचारियों की संख्या तीन लाख है। कर्मचारियों के साथ वेतन समझौता जुलाई, 2016 से लंबित था। कोल इंडिया के स्टॉक में कारोबार के दौरान 0.65 फीसदी की गिरावट आई। इंट्रा-डे में बीएसई पर स्टॉक ने 274.80 रुपए का निचला स्तर बनाया।

600 रुपए में मिल रहे हैं 1700 के ब्रांडेड शूज

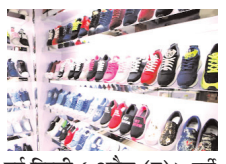

नई दिल्ली 6 अप्रैल (ए)। गर्मी का मौसम अलग ही फैशन लेकर आता है। यही कारण है कि ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार छूट दे रही हैं। ऐसे में Myntra.com पर शूज की सेल लगी है। इस सेल में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अपनी पसंद के शूज खरीद सकते हैं। क्योंकि यहां हर शूज पर मिल रही है 70 प्रतिशत तक की छूट। वहीं, इस बार ई-कॉमर्स कंपनी के अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी आपको ऑफर दे रहा है। इसके चलते शूज पर मिलने वाली छूट10 फीसदी और बढ़ जाएगी। लेकिन इस 10 फीसदी की छूट के लिए आपको बस इक छोटा सा काम करना होगा कि शॉपिंग के बाद पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से करनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करने का एक फायदा और है कि इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे या ऑफिस में बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं।

इंडियन क्रिकेट टीम की होम सीरीज के मीडिया राइट्स फिर स्टार इंडिया को

मुंबई 6 अप्रैल (ए)। इंडिया क्रिकेट के राइट्स अगले पांच वर्षों तक स्टार इंडिया के ही पास रहेंगे। स्टार इंडिया इसके बदले बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को अगले पांच वर्षों में 6138.10 करोड़ रुपये देने को राजी हुआ।

इस तरह 60.18 करोड़ रुपये प्रति मैच का औसत बन रहा है। किसी स्पोर्टिंग प्रॉपर्टी के लिए यह पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का मौका भी बना। ऑक्शन तीसरे दिन तक चला। इसमें सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और रिलायंस जियो ने भी भाग लिया था। तीनों बिडर्स ने ग्लोबल कंसॉलिडेटेड राइट्स के लिए बोली लगाई थी, जिसमें टेलीविजन और डिजिटल राइट्स शामिल थे। एसपीएन की फाइनल बिड 6118.59 करोड़ रुपये की थी, जो विजेता बोली से 19.51 करोड़ रुपये कम रह गई।

मीडिया राइट्स हासिल कर स्टार इंडिया ने इंडिया में साल 2023 तक खेले जाने वाले सभी क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार अपनी झोली में डाल लिए। उसके पास इंडियन प्रीमियर लीग के ग्लोबल मीडिया राइट्स अगले पांच वर्षों के लिए पहले से हैं। इसके लिए उसने 16347.5 करोड़ रुपये चुकाए थे। उसके पास 2023 तक आईसीसी टूर्नामेंट्स के भी राइट्स हैं।

बीसीसीआई राइट्स के लिए प्रति मैच 60.18 करोड़ रुपये का औसत भुगतान आईपीएल के प्रति मैच 54.5

करोड़ रुपये के आंकड़े से यादा है। राइट्स हासिल करने के बाद स्टार इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर ने कहा कि बीसीसीआई राइट्स स्टार के लिए बहुत स्पेशल हैं। बीसीसीआई राइट्स के लिए पिछली डील (2012-18) के लिए स्टार इंडिया बीसीसीआई को औसतन करीब 43 करोड़ रुपये प्रति मैच का भुगतान कर रही थी।

शुरू में छह कंपनियों ने टेंडर डॉक्युमेंट्स लिए थे, लेकिन फेसबुक, गूगल और यपटीवी ने राइट्स के लिए बिडिंग नहीं की। ऑक्शन 3 अप्रैल को शुरू हुआ था और शुरुआती बोली 4176 करोड़ रुपये की लगी थी। बाद में वह 4442 करोड़ रुपये तक गई। बुधवार को इसमें तेजी आई और बोली 6000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई।आने वाले दिनों के टूर प्रोग्राम के मुताबिक, पहले साल में बीसीसीआई के 18 मैचों, दूसरे में 26, तीसरे में 14, चौथे में 23 और पांचवें में 21 मैचों की मेजबानी करने की उम्मीद है। बोर्ड ने पहले साल के लिए 43 करोड़ रुपये प्रति मैच का बेस प्राइस रखा था और अगले चार वर्षों के लिए इसे 40 करोड़ रुपये प्रति मैच रखा गया था। 2012 में स्टार इंडिया ने ये राइट्स 3851 करोड़ रुपये में हासिल किए थे। तब दूसरी करीबी बोली एसपीएन (तब मल्टी स्क्रीन मीडिया) की 3700 करोड़ रुपये की थी।